

23-2-24

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित।

वादीगण अधिवक्ता प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना का एक अवसर चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त वाद दिनांक 19.12.2017 को इस न्यायालय में दायर करवाया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा 06 वर्ष 02 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई। तलबी के अभाव में उक्त वाद आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम तकमील में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्

